संख्या 1130 /उन्तीस(2)/17–2(117पे0)/2010

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 20 सितम्बर, 2017

विषय :– **देहरादून सीवरेज योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्टों के 05 वर्षो के संचालन एवं रखरखाव कार्यो हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत देहरादून सीवरेज योजना में निर्मित सीवरेज शोधन संयत्रों के 05 वर्षो के संचालन एवं रखरखाव हेतु शासनादेश संख्या 305/उन्तीस(2)/11–2(117पे0)/2010 दिनांक 21.04.2011 द्वारा रू0 1277.00 लाख प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष शासनादेश संख्या 1623 दिनांक 29.09.2016 द्वारा देहरादून सीवरेज योजना जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत मोथरोवाला एस0टी0पी0 हेतु वित्तीय वर्ष 2016–16 के संचालन एवं रखरखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 58.33 लाख के सापेक्ष रू0 60.00 लाख वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, इसी क्रम में शासनादेश संख्या 545 दिनांक 17.06.2017 द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल निगम के अनुरक्षणाधीन सीवरेज शोधन संयत्र एवं सीवरेज योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 66.665 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इस प्रकार अब तक कुल रू0 116.665 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

2– उक्त के सम्बन्ध में आपके कार्यालय के पत्र संख्या 1008/नियोजन अनुभाग/धनावंटन प्रस्ताव/46 दिनांक 19.07.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत देहरादून सीवरेज योजना में निर्मित सीवरेज शोधन संयत्रों के संचालन एवं रखरखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 हेतु कुल रू0 100.68 लाख के सापेक्ष अब तक कुल अवमुक्त रू0 116.665 लाख की धनराशि को कम करते हुए अवशेष रू0 49.915 लाख (रू0 उनचास लाख इक्यानवे हजार पॉच सौ मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राविधानित बजट में से व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

.....2

2– स्वीकृत की गयी धनराशि उसी योजना पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। शासनादेश संख्या 305/उन्तीस(2)/11–2(117पे0)/ 2010 दिनांक 21.04.2011 द्वारा की शेष शर्ते यथावत् लागू रहेगी।

3– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2215– जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति/आयोजनागत–107–मल निकासी सेवाए–02–सीवरेज शोधन सयंत्र एवं सीवरेज योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव के लिए अनुदान–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

4– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या H 1709130317 दिनांक 11.09.2017 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या 610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

पृ0सं0 1130 (1)/उन्तीस(2)/17–2(117पे0)/2010 तददिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(निर्मल कुमार)
अनु सचिव।